

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 332 / 09

संस्थित दि.: 23 / 06 / 09

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... अभियोगी

विरुद्ध

मनोज पिता बाबूलाल देवारे, उम्र 28 साल, जाति तेली,
निवासी भरबेली थाना भरबेली, जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपी

- :: निर्णय :: -

(आज दिनांक 20 / 01 / 2015 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304-ए का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 01.05.2009 को समय करीब 10:00 बजे, फारेस्ट डिपो के पास आरक्षी केन्द्र रूपझर के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन मेटाडोर क्रमांक एम.पी. 50-जी.0559 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं वाहन मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50-जी.0559 को पलटी खिलाकर आहत रमेश को साधारण उपहति कारित की तथा रामचंद को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की व विनोद की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी राकेश ने चौकी उकवा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 01.05. 2009 को समय करीब 10:00 बजे फारेस्ट डिपो से उकवा जा रहा था एक सफेद रंग की मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50-जी.0559 का चालक उकवा तरफ से वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और फारेस्ट डिपो के पास मेन रोड पर पलटा दिया, जिससे गाड़ी में बैठे रामचंद अडमे, विनोद कुनवी, रमेश, मनोज देवारे के शरीर पर चोटे आई। फरियादी की रिपोर्ट पर वाहन सफेद रंग की मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50-जी.0559 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 0 / 09 धारा 279, 337 भा.दं.वि. एवं मोटरयान

अधिनियम की धारा 184 के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध कर असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था, जिस पर थाना रूपझर की पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 45/09 की कायमी कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304-ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304-ए का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है, फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिये पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर उसे झूठा फंसाया गया है।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 01.05.2009 को समय करीब 10:00 बजे, फारेस्ट डिपो के पास आरक्षी केन्द्र रूपझर के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50-जी.0559 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- (2) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50-जी.0559 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर पलटी खिलाकर वाहन में बैठे रमेश को साधरण उपहति कारित की ?
- (3) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50-जी.0559 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर पलटी खिलाकर वाहन में बैठे रामचंद को अस्थिभंग

कर घोर उपहति कारित की ?

- (4) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50-जी.0559 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर पलटी खिलाकर वाहन में बैठे विनोद की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 1, 2, 3 एवं 4 का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता नरेन्द्र कुमार दुबे (अ.सा. 14) का कहना है कि उसने दिनांक 01.05.2009 को चौकी उकवा में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये फरियादी राकेश के बताये अनुसार वाहन मेटाडोर क्रमांक एम.पी.20-जी.0559 के चालक के विरुद्ध धारा 279, 337 भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 की शून्य पर कायमी की थी, जो प्रदर्श पी-03 है। उसने शून्य पर की गई कायमी को असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भिजवाया था। घटनास्थल पर जाकर फरियादी राकेश की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-04 है। घटनास्थल से एक सफेद रंग की पिकअप मेटाडोर गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। दिनांक 07.05.2009 को आरोपी मनोज से वाहन का रजिस्ट्रेशन, ड्रायविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-11 तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-12 तैयार किया था। फरियादी राकेश एवं साक्षी चंद्रकांत, मदनलाल, संतोष, चंद्रकला, रमेश, रामचंद, राजाराम, मनोज, यशोदाबाई, चौबेलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी एल.सी.चौधरी (अ.सा. 13) का कहना है कि उसने दिनांक 01.05.2009 को आरक्षी केन्द्र रूपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये चौकी उकवा के आरक्षक शिवलाल परते द्वारा अपराध क्रमांक 0 / 09, धारा 279, 337 भा.दं.वि.

की प्रथम सूचना रिपोर्ट पेश करने पर उसने असल नम्बर अपराध क्रमांक 45 / 09 धारा 279, 337 भा.दं.वि. में दर्ज किया था, जो प्रदर्श पी-10 है।

(08) अभियोजन साक्षी डॉक्टर डी.सी.धुर्वे (अ.सा. 12) का कहना है कि उसने दिनांक 01.05.2009 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत् रहते हुये चौकी उकवा के आरक्षक द्वारा आहत विनोद पिता राजाराम को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत के चिकित्सीय परीक्षण में पाया कि आहत बेहोश था, नाड़ी की गति धीमी थी, ब्लड प्रेशर रिकार्ड नहीं हो रहा था, माथे के दोनों तरफ कंटूजन एवं खरौंच था, जिसका आकार चार गुणा चार इंच चमड़ी की सतह तक लिये हुये था, दोनों घुठने पर सूजन एवं खरौंच के निशान थे, जिसका आकर दो गुणा दो इंच था। आहत को आई चोट उसके परीक्षण के चार घंटे की भीतर की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है। उसने आहत रामचंद पिता मोहन अडमे के चिकित्सीय परीक्षण में पाया कि आहत के बांये घुठने पर खरौंच एवं सूजन थी, जिसका आकार दो गुणा दो इंच चमड़ी की सतह तक था। आहत के दाहिने घुठने पर सूजन एवं खरौंच के निशान थे, बांये कोहनी के पीछे खरौंच के निशान, जिसका आकार तीन गुणा एक इंच चमड़ी की सतह तक था, दाहिने तरफ इग्वार्डनल रिजन के उपर एक खरौंच, जिसका आकार डेढ़ गुणा दो इंच चमड़ी की सतह तक था, बांये तरफ स्केपुलर रिजन पर एक खरौंच, जिसका आकार दो इंच गुणा एक इंच चमड़ी की सतह तक होना पाया था। आहत को आई चोटे उसके परीक्षण के चार घण्टे के अन्दर की थी। उसने आहत को अग्रिम ईलाज हेतु ओ.पी.डी टिकिट एवं इंडोर टिकिट बनाकर जिला चिकित्सालय बालाघाट में भर्ती कर दिया था। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है।

(09) अभियोजन साक्षी डॉक्टर सुरेश कावड़े (अ.सा. 10) का कहना कि उसने दिनांक 01.05.2009 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत् रहते हुये चौकी उकवा के आरक्षक शिवलाल क्रमांक 737 द्वारा आहत मुन्ना उर्फ रमेश पिता बैरागी, उम्र 32 साल को मुलाहिजा परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत का मुलाहिजा परीक्षण किया था, जिसमें आहत सीने में दर्द की शिकायत कर रहा था, लेकिन उसे कोई बाहरी चोट नहीं थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-07 है।

(10) अभियोजन साक्षी डॉक्टर डी.के.राऊत (अ.सा. 3) का कहना है कि उसने दिनांक 04.05.2009 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियो लॉजिस्ट के पद पर कार्यरत रहते हुये आहत रामचंद पिता मोहनलाल की एक्सरे प्लेट क्रमांक 2045 का परीक्षण किया था, जिसे दिनांक 01.05.2009 को एक्सरे टेक्नीशियन तुमसरे द्वारा तैयार किया गया था। उक्त एक्सरे प्लेट के परीक्षण में उसने आहत के बांये पैर की केलकेनियम हड्डी में फ्रैक्चर होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-05 है।

(11) किन्तु अभियोजन साक्षी/फरियादी राकेश (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी है। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने घटना के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी थी। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार नहीं किया है और न ही उसने पुलिस को कोई घटनास्थल का मौका नक्शा बताया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया कि आरोपी ने घटना दिनांक को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर घटना कारित की व उसने पुलिस को प्रदर्श पी-05 का कथन दिया इससे भी स्पष्ट इन्कार किया है।

(12) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी चंद्रकांतसिंह चौहान (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग एक साल पुरानी 09-10 बजे की है। उसे पता चला कि दुर्घटना हो गई है, जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई वह टाटा की 207 थी। दुर्घटना में गाड़ी पलट गई थी तथा वाहन में बैठे एक-दो लोगों को चोट आई थी। आहत व्यक्तियों को उसने अस्पताल पहुंचाया था। उसे नहीं मालूम की वाहन कौन चला रहा था। पुलिस ने उसके सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने बताया कि उसे घटना के बारे में नहीं मालूम तथा उसने घटना होते हुये नहीं देखी। उसने पुलिस को प्रदर्श पी-02 के कथन दिये जाने से भी स्पष्ट इन्कार किया।

(13) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संतोष (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना उसके कथन के तीन-चार साल पुरानी है। वाहन 207 आ रहा था। वाहन 207 का चालक वाहन को तेजगति से चला रहा था, जिससे वाहन पलट गया, जिससे वाहन में

बैठे दो-चार लोगो को चोट आई थी और एक व्यक्ति को पानी पिलाया और वह व्यक्ति खत्म हो गया था। 207 के चालक ने स्पीड से चलाते हुये एक गाड़ी को साईड दी, जिससे गाड़ी पलट गई। साक्षी को उसका पुलिस बयान पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने पुलिस को बयान देने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट स्वीकार किया है कि वह दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर गया था दुर्घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है।

(14) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी चंद्रकलाबाई (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना उसके कथन के दो वर्ष पुरानी ग्राम उकवा की है। वाहन चालक को उसके पति ने रखा था। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है इतनी ही जानकारी उसे लगी थी। दुर्घटना कैसे हुये उसे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी मदनलाल (अ.सा. 6) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी और न ही पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(15) अभियोजन साक्षी राजाराम (अ.सा. 7) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग चार वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को डेकोरेशन का सामान भरकर मेटाडोर से बालाघाट से बैहर आ रहा था तो उकवा में वाहन पलट गया था एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी यशोदाबाई (अ.सा. 8) का कहना है कि उसका लड़का विनोद डेकोरेशन के कार्य से पिकअप वाहन से बैहर जा रहा था तो वाहन पलट गया था, जिससे विनोद को चोट आयी और उसकी मृत्यु हो गयी

(16) अभियोजन साक्षी चौबेलाल (अ.सा. 9) का कहना है कि घटना उसके कथन से दो-तीन साल पुरानी है। विनोद की मृत्यु एक्सीडेंट में हो गयी थी। इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। न्यायालय द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने बताया कि दिनांक 30.04.2009 को बालाघाट से टेन्ट का सामान विनोद पिकअप वाहन में लेकर आ रहा था। वाहन उकवा के पास पलट गया था। पता चलने पर वह मौके पर पहुंचा था।

(17) अभियोजन साक्षी रामचंद (अ.सा. 10) का कहना है कि घटना उसके

कथन के लगभग पांच वर्ष पुरानी सुबह के 09:00 बजे उकवा डिपो के सामने बालाघाट बैहर लोकमार्ग की है। उकवा से डेकोरेशन का सामान मेटिंग एवं कुर्सी भरकर पिकअप गाड़ी से बालाघाट जा रहे थे तो उकवा डिपो के सामने पिकअप के चालक ने गाड़ी को पलटी खिला दिया, जिससे वह गिर गया था। उसके साथ में एक व्यक्ति और था, जिसकी दबने से मृत्यु हो गई थी और अन्य व्यक्ति भी था, जिसे गिरने से चोट आई थी। उसके बाद कमल डेकोरेशन वाले ने अस्पताल में भर्ती करवाया था। पुलिस ने अस्पताल में आकर उसके बयान लिये थे और उसने पुलिस को घटना के संबंध में बता दिया था। न्यायालय द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी बताया कि घटना दिनांक 01.05.2009 को वह उकवा से डेकोरेशन ले जा रहा था तब पिकअप वाहन क्रमांक एम.पी.50-जे.0559 के चालक ने तेजी एवं लावारहीपूर्वक वाहन को पलटी खिला दिया, जिससे उसे चोट आयी थी। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह वाहन में पीछे बैठा था तथा वाहन कौन चला रहा था इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है।

(18) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि फरियादी ने क्लेम राशि प्राप्त करने हेतु पुलिस से मिलकर आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराकर आरोपी को झूठा फसाया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी राकेश (अ.सा. 2), चंद्रकांतसिंह (अ.सा. 1), संतोष (अ.सा. 4), चंद्रकलाबाई (अ.सा. 5), मदनलाल (अ.सा. 6), चौबेलाल (अ.सा. 9), रामचंद (अ.सा. 10) को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(19) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(20) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता नरेन्द्र कुमार दुबे (अ.सा. 14) का कहना है कि उसने दिनांक 01.05.2009 को चौकी उकवा में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत रहते हुये फरियादी राकेश के बताये अनुसार वाहन मेटाडोर क्रमांक एम.पी.20-जी.0559 के चालक के विरुद्ध धारा 279, 337 भा.द.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 184 की शून्य पर कायमी की थी, जो प्रदर्श पी-03 है। उसने शून्य पर की गई कायमी को

असल नम्बरी हेतु थाना रुपझर भिजवाया था। घटनास्थल पर जाकर फरियादी राकेश की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-04 है। घटनास्थल से एक सफेद रंग की पिकअप मेटाडोर गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-01 तैयार किया था। दिनांक 07.05.2009 को आरोपी मनोज से वाहन का रजिस्ट्रेशन, ड्रायविंग लायसेंस जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-11 तैयार किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-12 तैयार किया था। फरियादी राकेश एवं साक्षी चंद्रकांत, मदनलाल, संतोष, चंद्रकला, रमेश, रामचंद, राजाराम, मनोज, यशोदाबाई, चौबेलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी एल.सी.चौधरी (अ.सा. 13) का कहना है कि उसने दिनांक 01.05.2009 को आरक्षी केन्द्र रुपझर में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत् रहते हुये चौकी उकवा के आरक्षक शिवलाल परते द्वारा अपराध क्रमांक 0/09, धारा 279, 337 भा.दं.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट पेश करने पर उसने असल नम्बर अपराध क्रमांक 45/09 धारा 279, 337 भा.दं.वि. में दर्ज किया था, जो प्रदर्श पी-10 है।

(21) अभियोजन साक्षी डॉक्टर डी.सी.धुर्वे (अ.सा. 12) का कहना है कि उसने दिनांक 01.05.2009 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत् रहते हुये चौकी उकवा के आरक्षक द्वारा आहत विनोद पिता राजाराम को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत के चिकित्सीय परीक्षण में पाया कि आहत बेहोश था, नाड़ी की गति धीमी थी, ब्लड प्रेशर रिकार्ड नहीं हो रहा था, माथे के दोनों तरफ कंटूजन एवं खरौंच था, जिसका आकार चार गुणा चार इंच चमड़ी की सतह तक लिये हुये था, दोनों घुठने पर सूजन एवं खरौंच के निशान थे, जिसका आकर दो गुणा दो इंच था। आहत को आई चोट उसके परीक्षण के चार घंटे की भीतर की थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-08 है। उसने आहत रामचंद पिता मोहन अडमे के चिकित्सीय परीक्षण में पाया कि आहत के बांये घुठने पर खरौंच एवं सूजन थी, जिसका आकार दो गुणा दो इंच चमड़ी की सतह तक था। आहत के दाहिने घुठने पर सूजन एवं खरौंच के निशान थे, बांये कोहनी के पीछे खरौंच के निशान, जिसका आकार तीन गुणा एक इंच चमड़ी की सतह तक था, दाहिने तरफ इग्वार्डनल रिजन के उपर एक खरौंच, जिसका आकार डेढ़ गुणा दो इंच चमड़ी की सतह तक था, बांये तरफ स्केपुलर रिजन पर एक खरौंच, जिसका आकार दो इंच गुणा

एक इंच चमड़ी की सतह तक होना पाया था। आहत को आई चोटे उसके परीक्षण के चार घण्टे के अन्दर की थी। उसने आहत को अग्रिम ईलाज हेतु ओ.पी.डी टिकिट एवं इंडोर टिकिट बनाकर जिला चिकित्सालय बालाघाट में भर्ती कर दिया था। उसके द्वारा तैयार की गई आहत की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है।

(22) अभियोजन साक्षी डॉक्टर सुरेश कावड़े (अ.सा. 10) का कहना कि उसने दिनांक 01.05.2009 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत् रहते हुये चौकी उकवा के आरक्षक शिवलाल क्रमांक 737 द्वारा आहत मुन्ना उर्फ रमेश पिता बैरागी, उम्र 32 साल को मुलाहिजा परीक्षण हेतु लाने पर उसने आहत का मुलाहिजा परीक्षण किया था, जिसमें आहत सीने में दर्द की शिकायत कर रहा था, लेकिन उसे कोई बाहरी चोट नहीं थी। उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-07 है।

(23) अभियोजन साक्षी डॉक्टर डी.के.राऊत (अ.सा. 3) का कहना है कि उसने दिनांक 04.05.2009 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियो लॉजिस्ट के पद पर कार्यरत् रहते हुये आहत रामचंद पिता मोहनलाल की एक्सरे प्लेट क्रमांक 2045 का परीक्षण किया था, जिसे दिनांक 01.05.2009 को ऐक्सरे टेक्नीशियन तुमसरे द्वारा तैयार किया गया था। उक्त एक्सरे प्लेट के परीक्षण में उसने आहत के बांये पैर की केलकेनियम हड्डी में फ्रेक्चर होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-05 है।

(24) किन्तु अभियोजन साक्षी/फरियादी राकेश (अ.सा. 2) का कहना है कि घटना उसके कथन से एक वर्ष पुरानी है। घटना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने घटना के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी थी। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार नहीं किया है और न ही उसने पुलिस को कोई घटनास्थल का मौका नक्शा बताया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया कि आरोपी ने घटना दिनांक को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर घटना कारित की व उसने पुलिस को प्रदर्श पी-05 का कथन दिया इससे भी स्पष्ट इन्कार किया।

(25) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी चंद्रकांतसिंह चौहान (अ.सा. 1) का कहना है

कि घटना उसके कथन से लगभग एक साल पुरानी 09-10 बजे की है। उसे पता चला कि दुर्घटना हो गई है, जिस गाड़ी से दुर्घटना हुई वह टाटा की 207 थी। दुर्घटना में गाड़ी पलट गई थी तथा वाहन में बैठे एक-दो लोगों को चोट आई थी। आहत व्यक्तियों को उसने अस्पताल पहुंचाया था। उसे नहीं मालूम की वाहन कौन चला रहा था। पुलिस ने उसके सामने कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने बताया कि उसे घटना के बारे में नहीं मालूम तथा उसने घटना होते हुये नहीं देखी। उसने पुलिस को प्रदर्श पी-02 के कथन दिये जाने से भी स्पष्ट इन्कार किया।

(26) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी संतोष (अ.सा. 4) का कहना है कि घटना उसके कथन के तीन-चार साल पुरानी है। वाहन 207 आ रहा था। वाहन 207 का चालक वाहन को तेजगति से चला रहा था, जिससे वाहन पलट गया, जिससे वाहन में बैठे दो-चार लोगो को चोट आई थी और एक व्यक्ति को पानी पिलाया और वह व्यक्ति खत्म हो गया था। 207 के चालक ने स्पीड से चलाते हुये एक गाड़ी को साईड दी, जिससे गाड़ी पलट गई। साक्षी को उसका पुलिस बयान पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने पुलिस को बयान देने से स्पष्ट रूप से इन्कार किया। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट स्वीकार किया है कि वह दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर गया था दुर्घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है।

(27) इसी प्रकार अभियोजन साक्षी चंद्रकलाबाई (अ.सा. 5) का कहना है कि घटना उसके कथन के दो वर्ष पुरानी ग्राम उकवा की है। वाहन चालक को उसके पति ने रखा था। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है इतनी ही जानकारी उसे लगी थी। दुर्घटना कैसे हुये उसे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी मदनलाल (अ.सा. 6) का कहना है कि घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसके समक्ष कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी और न ही पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

(28) अभियोजन साक्षी राजाराम (अ.सा. 7) का कहना है कि घटना उसके कथन से लगभग चार वर्ष पुरानी है। घटना दिनांक को डेकोरेशन का सामान भरकर

मेटाडोर से बालाघाट से बैहर आ रहा था तो उकवा में वाहन पलट गया था एवं इसी प्रकार अभियोजन साक्षी यशोदाबाई (अ.सा. 8) का कहना है कि उसका लड़का विनोद डेकोरेशन के कार्य से पिकअप वाहन से बैहर जा रहा था तो वाहन पलट गया था, जिससे विनोद को चोट आयी और उसकी मृत्यु हो गयी

(29) अभियोजन साक्षी चौबेलाल (अ.सा. 9) का कहना है कि घटना उसके कथन से दो-तीन साल पुरानी है। विनोद की मृत्यु एक्सीडेंट में हो गयी थी। इसके अलावा उसे कोई जानकारी नहीं है। न्यायालय द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने बताया कि दिनांक 30.04.2009 को बालाघाट से टेन्ट का सामान विनोद पिकअप वाहन में लेकर आ रहा था। वाहन उकवा के पास पलट गया था। पता चलने पर वह मौके पर पहुंचा था।

(30) अभियोजन साक्षी रामचंद (अ.सा. 10) का कहना है कि घटना उसके कथन के लगभग पांच वर्ष पुरानी सुबह के 09:00 बजे उकवा डिपो के सामने बालाघाट बैहर लोकमार्ग की है। उकवा से डेकोरेशन का सामान मेटिंग एवं कुर्सी भरकर पिकअप गाड़ी से बालाघाट जा रहे थे तो उकवा डिपो के सामने पिकअप के चालक ने गाड़ी को पलटी खिला दिया, जिससे वह गिर गया था। उसके साथ में एक व्यक्ति और था, जिसकी दबने से मृत्यु हो गई थी और अन्य व्यक्ति भी था, जिसे गिरने से चोट आई थी। उसके बाद कमल डेकोरेशन वाले ने अस्पताल में भर्ती करवाया था। पुलिस ने अस्पताल में आकर उसके बयान लिये थे और उसने पुलिस को घटना के संबंध में बता दिया था। न्यायालय द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी बताया कि घटना दिनांक 01.05.2009 को वह उकवा से डेकोरेशन ले जा रहा था तब पिकअप वाहन क्रमांक एम.पी.50-जे.0559 के चालक ने तेजी एवं लावारहीपूर्वक वाहन को पलटी खिला दिया, जिससे उसे चोट आयी थी। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि वह वाहन में पीछे बैठा था तथा वाहन कौन चला रहा था इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है।

(31) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/विवेचनाकर्ता नरेन्द्र कुमार दुबे (अ.सा. 14) एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र साक्षी राकेश (अ.सा. 2), चंद्रकांतसिंह

(अ.सा. 1), संतोष (अ.सा. 4), चंद्रकलाबाई (अ.सा. 5), मदनलाल (अ.सा. 6), चौबेलाल (अ.सा. 9), रामचंद (अ.सा. 10) को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी अभियोजन का समर्थन नहीं नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आहत रमेश को उपहति कारित होना एवं आहत रामचंद को घोर उपहति कारित होना तथा विनोद की मृत्यु वाहन पलटने से होना तो परिलक्षित होता है कि किन्तु आरोपी ने दिनांक 01.05.2009 को समय करीब 10:00 बजे, फारेस्ट डिपो के पास आरक्षी केन्द्र रूपझर के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50-जी.0559 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं वाहन मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50-जी.0559 को पलटी खिलाकर आहत रमेश को साधारण उपहति कारित की तथा रामचंद को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की व विनोद की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है। यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

(32) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी दिनांक 01.05.2009 को समय करीब 10:00 बजे, फारेस्ट डिपो के पास आरक्षी केन्द्र रूपझर के अन्तर्गत लोकमार्ग पर वाहन मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50-जी.0559 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं वाहन मेटाडोर क्रमांक एम.पी.50-जी.0559 को पलटी खिलाकर आहत रमेश को साधारण उपहति कारित की तथा रामचंद को अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की व विनोद की मृत्यु ऐसी स्थिति में कारित की, जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद प्रतीत होता है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(33) परिणाम स्वरूप आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 337, 338, 304-ए के आरोप में दोषसिद्ध न पाते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

(34) प्रकरण में आरोपी पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(35) प्रकरण में जप्तशुदा पिकअप वाहन क्रमांक एम.पी.50-जी.0559 तथा वाहन

से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जाये।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)